

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न० - 281 / 2025

अनवान : -

- 1 सुनीता पत्नी श्यामसुन्दर पुत्री औमसिंह जाति राजपूत निवासी वार्ड न० 17 रावतसर, त० रावतसर जिला हनुमानगढ़ ।

वादीया

बनाम्


- 1 तहसीलदार राजस्व टिब्बी ।

प्रतिवादी

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के समक्ष अधिवक्ता वादी श्री सुभाष गर्ग की उपस्थिति में प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चकनं० 5 केएचआर के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं० 176 / 59 में कुल 4.465 है० आराजी मे से वादीया का 447 / 8930 हिस्सा व चकनं० 2 सीडीआर के खाता सं० 74 / 24 में 2.530 है० आराजी में वादीया का 1 / 20 हिस्सा तथा चक नं० 2 सीडीआर के खाता सं० 73 / 72 में कुल 0.0145 है० में वादीया का 1 / 20 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड में वादीया के सरोज पुत्री औमसिंह नाम के स्थान पर वादीया का सही नाम सुनीता पत्नी श्यामसुन्दर पुत्री औमसिंह की घोषणा की जाती है। यदि कृषि भूमि पर बैंक रहन व किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो राजस्व रिकोर्ड में अंकन कर रिकोर्ड दुरुस्त किया जावें। यदि कोई राजस्व अथवा किसी संस्था में वादीया के सरोज नाम से कोई बकाया अथवा किसी न्यायालय अथवा किसी एजेन्सी में सरोज नाम से कोई मुकदमा आदि जैरकार हो तो उसके लिए प्रार्थीया का पूर्व नाम सरोज ही लागू होगा। खर्चा उभयपक्ष अपना-अपना वहन करें।

आज यह पर्चा डिक्री दिनांक 19/2/24.....मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी की गई।




उपखण्ड (सत्यनारायण)
पदेन महायक कलेक्टर R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़